



# नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: [deangmckhandwa@gmail.com](mailto:deangmckhandwa@gmail.com), Website: [www.gmckhandwa.org](http://www.gmckhandwa.org)

खण्डवा, दिनांक 27/06/2022

क्रमांक / 4402 / स्थापना तृ.च. / 2022

## // सूचना पत्र //

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक-3944/स्थापना तृ.च./2021 खण्डवा, दिनांक 05/06/2021 (पैरामेडिकल तृतीय श्रेणी) जारी कर रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित किये गये थे जिसमें एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्राप्त मेरिट सूची प्रदाय करने के उपरांत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6003/स्थापना तृ.च./2021 खण्डवा दिनांक 24.08.2021 एवं पत्र क्रमांक 7635/स्थापना तृ.च./2021 खण्डवा दिनांक 02.11.2021 अनुसार डेंटल टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों को मूलतः दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। इसके उपरांत विधित होने पर डेंटल टेक्नीशियन के जीवित पंजीयन के संबंध में रजिस्ट्रार, म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् भोपाल से मार्गदर्शन चाहा गया जिसमें रजिस्ट्रार, म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् भोपाल का पत्र क्रमांक/1310/1886/2022 भोपाल दिनांक 21/06/2022 अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन से प्राप्त एकजाई मेरिट सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज अवलोकन हेतु आमंत्रित किया जाता है-

पदनाम - डेंटल टेक्नीशियन						
No.	App. No.	Name	Father_Name	DOB	Category	Gender
1	GMK0221000967	DEEPIKA BOUDH	KAML SINGH BHARTI	10-11-1997	UR	Female
2	GMK0221000836	MEENA LODHI	PRAGI LAL	22-06-1993	UR	Female
3	GMK0221001491	RAMCHANDA	NARU	05-01-1997	ST	Male
4	GMK0221001330	HRITIK DOHARE	NARESH DOHARE	28-10-1998	UR	Male
5	GMK0221001568	SANDEEP DOHARE	DEEN DAYAL	06-05-1985	UR	Male
6	GMK0221000856	DIPTI MITTAL	ASHOK MITTAL	01-04-1992	UR	Female

उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 30 जून 2022 को समय प्रातः 11:00 बजे पुनः मूलतः दस्तावेज अवलोकन हेतु नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में आमंत्रित किया जाता है-

नोट:- दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि आपका चयन सुनिश्चित हुआ है। दस्तावेज सत्यापन पश्चात् पात्र पाए जाने पर ही अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन किया जावेगा साथ ही किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा एवं यदि कोई अभ्यर्थी उक्त दिनांक में अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जावेगा की अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है अतएव उसकी अभ्यर्थिता समाप्त मानी जावेगी।

(डॉ. अनंत टी. पवार)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
नंदकुमार सिंह चौहान शा. चि.म. खण्डवा